न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/144 दायरा दिनांक : 02.09.2024

उनवान

1– मांगीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड
2– चतुर्भुज आयु वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड
3– जगदीश आयु वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड
निवासीगण पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बारां ....अपीलांट

बनाम

1– संतराबाई पत्नी श्रीलाल जाति धाकड
2– निर्मलाबाई पत्नी धनराज जाति धाकड
3– ललताबाई पत्नी नवलकिशोर जाति धाकड
4– शंकरलाल पुत्र खेमचंद जाति धाकड
5– मुकेश पुत्र रामनाथ जाति धाकड
6– बृजमोहन पुत्र रामनाथ जाति धाकड
7– सुमित्रा पुत्री रामनाथ जाति धाकड
8– भूलीबाई पत्नी रामनाथ जाति धाकड
निवासीगण पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बारां
9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां ....रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री ओमप्रकाश मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 25.06.2025

1– ये अपील उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के प्रकरण संख्या – 10/2015 निर्णय दिनांक 05.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्र. 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बिलोदा पटवार हल्का मामली में प्रार्थिया क्रम 1 के खाते की भूमि खसरा नं. 60/1 रकबा 13.15 बीघा में हिस्सा 1/6 तथा प्रार्थिया क्रम 2 के खाते की भूमि खसरा नं. 59 रकबा 10.17 बीघा, खसरा नं. 58/4 रकबा 0.10 बीघा तथा प्रार्थिया क्रम 3 के खाते की भूमि खसरा नं. 59/1 रकबा 11.07 बीघा, कुल 4 किता की 25.11 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 05.06.2024 से वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3– अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम बिलोदा पटवार हल्का मामली की आराजी खसरा नं० 60/1 रकबा 13.15 बीघा खसरा नं0 59 रकबा 10.17 बीघा खसरा नं० 58/4 रंकबा 10 बिस्वा खसरा नं0 59/1 रकबा 11.07 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा तथा ग्राम बिलोदा की आराजी खसरा नं० 60 एवं ग्राम पचलावडा की भूमि 298 के मध्य स्थित कांकड मेड पर होकर रास्ते के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 5–6–2024 में खसरा नं0 107 का रकबा 0.02 बीघा (0.016080) तथा ग्राम पचलावडा की खसरा नं0 469 का कुल रकबा 0.06 बीघा (0.0480) खसरा नं0 464 में से 0.07 बीघा (0.0540) मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है जो रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यो का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं करके उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण द्वारा दिनांक 5–7–2019 को जवाब पेश किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 5–6–2024 मे कोई उल्लेख नही किया गया तथा संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 22–1–2020 को पेश हुआ किन्तु उसका भी कोई उल्लेख नही किया गया है तथा अप्रार्थी/रेस्पो० द्वारा दिनांक 23–5–2024 को जवाब पेश किया गया है उसका भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई उल्लेख नही किया गया केवल तहसील रिपोर्ट का हवाला देकर उक्त निर्णय पारित किया गया है जबकि तहसील से भिन्न भिन्न समय पर तीन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमे किस रिपोर्ट को माना गया व किसको नही माना गया कहीं स्पष्ट कारण अंकित नही किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 5–6–2024 में कोई कारण नही बताया गया कि कौनसा रास्ता नजदीक है कौनसा रास्ता दूर है व कौनसा रास्ता वैकल्पिक रूप मे मौजूद है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यो का ठीक प्रकार से विवेचन नही किया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

4– अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 5–6–2024 प्रकरण संख्या 10/2015 बउनवान संतराबाई बनाम मांगीलाल निरस्त फरमाया जावे।

5– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई ।

6– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.07.2019 को जवाब दिया जिसका निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तहसील कार्यालय से भिन्न–भिन्न तीन मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। संशोधित प्रार्थना पत्र के आधार पर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय करना चाहिए था। पुरानी रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7— हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

8— अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेंट क्रम 1, 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत धारा – 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के क्रम में दौराने सुनवाई तहसील से दिनांक 17.05.2016, दिनांक 09.01.2020 एवं दिनांक 13.07.2022 को तीन मौका रिपोर्ट प्राप्त होना स्पष्ट है। उक्त तीनों मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तृतीय मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 के बिन्दु संख्या 3 पर प्रस्तावित मार्ग को उचित मानते हुए निर्णय पारित कर प्रार्थीगण रेस्पोडेंट क्रम 1, 2 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17.05.2016 व 09.01.2020 को प्राप्त दोनों मौका रिपोर्ट के क्रम में अपने निर्णय में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आदि का अपने निर्णय में अंकन नहीं किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित खसरा नम्बर भिन्न है, इसके संदर्भ में भी कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों का ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधूरा एवं अस्पष्ट होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2024 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के प्रतिप्रेषित की जाती है कि पैरा 8 में किये गये विवेचन के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का पुनः अवलोकन कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा